राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

खाद्य भवन, भू-तल, शासन सचिवालय, जयपुर-302005

पत्रांक:एफ.8( )आ.प्र.एवं सहा./आ.प्र./2020/3884-90 जयपुर, दिनांक 23/3/2020

स्वीकृति

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 33–4/ 2020–NDM–1 दिनांक 14.03.2020 द्वारा COVID-19 को आपदा घोषित किया गया है। कोरोना वाइरस (COVID-19) के बढते संकमण को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में नई प्रयोगशालाएं यथा अजमेर एवं कोटा साथ ही मेडिकल कॉलेज भरतपुर, भीलवाडा, डूंगरपुर, पाली, सीकर एवं चुरू आदि स्थानों पर स्थापित की जावेगी। झुन्झुनू में एक नई प्रयोगशाला हाल ही में कोविड–19 के बढते संकमण की रोकथाम के लिए स्थापित की जावेगी। सवाईमानसिंह मेडिकल कॉलेज को भी एक नई प्रयोगशाला की आवश्यकता है। उक्त प्रयोगशालाओं के लिए उपकरण/सामग्री क्रय किए जाने हेतु राशि रूपये 27.41 करोड (सताईस करोड इकतालिस लाख मात्र), अतिरिक्त निदेशक प्रशासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग को वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से हस्तान्तरित किए जाने की एतद् द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2019–20 में निम्न बजट मद पर प्रभार्य होगा–

2245– प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
02– बाढ चक्रवात आदि
282– लोक स्वास्थ्य
(07)– (बाढ क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य)
[01]– [दवाईयों की पूर्ति]
22– सामग्री ओर प्रदाय (केन्द्रीय सहायता 100 प्रतिशत राशि रूपये 2741.00 लाख)

उक्त स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन जारी की जा रही है:–

1 उक्त उपकरण/सामग्री की क्रय प्रक्रिया में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।
2 RTTP Act 2012 एवं RTTP Rules 2013 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावे।
3 उक्त स्वीकृति इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ1()आ.प्र. एवं सहा/आ.प्र./2020/3783–89 दिनांक 20.03.2020 के अनुसरण में जारी की जाती है।
4 उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से दिनांक 31.03.2020 के पश्चात् उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सिद्धार्थ 23/3/2020
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, (लेखा एवं हक) जयपुर, राजस्थान।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेंवाये, जयपुर।
3. शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग जयपुर, राज।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार कार्यालय आई.डी. संख्या 28005 को बजट आवंटित करावें।
7. अतिरिक्त निदेशक प्रशासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
8. कोष कार्यालय, सचिवालय, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव

20

Scanned with CamScanner